बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–508 दिनांक–15.10.2026 के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री दीपक कुमार भारद्वाज (कोटि क्रमांक–372/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया के विरूद्ध लखीसराय थाना काण्ड संख्या–379/2026 दिनांक–17.07.2026 में इन्हें बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा–30(ए)/37 के अन्तर्गत नशे की हालत में गिरफ्तार किये जाने तथा इनके वाहन से अंग्रेजी शराब बरामद होने, अधीक्षक, मंडल कारा, लखीसराय के पत्रांक–3190 दिनांक–23.07.2026 के अनुसार श्री भारद्वाज के विरूद्ध पूर्व से ही लखीसराय थाना काण्ड संख्या–185/2026, U/s-329(3), 352 BNS and 25(9) Arms Act (Custody date 23.07.2026) दर्ज होने एवं बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर लखीसराय में रहने जैसे आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार श्री भारद्वाज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता से संबंधित है, जो अशोभनीय/गंभीर प्रकृति की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के संगत प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। उपर्युक्त आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 में निहित प्रावधानों के अधीन श्री भारद्वाज के विरूद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री दीपक कुमार भारद्वाज (कोटि क्रमांक–372/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) से अपेक्षा की जाती है कि पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें।

3. श्री भारद्वाज को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोपों के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय जाँच के संबंध में निर्णय उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर कर लिया जाएगा।

([illegible] कुमार)
सरकार के [illegible] सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(खगड़िया)–18/2026 6865 खाद्य, पटना/दिनांक–04-11-2026
प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सदर, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, कनीय प्रभारी, प्रशाखा–01/उप सचिव, कनीय प्रभारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री दीपक कुमार भारद्वाज (कोटि क्रमांक–372/2024), निलंबित प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर, मोबाईल संख्या–9891665115, E-Mail : deepakdhamma@ gmail.com को (आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।